

महत्वपूर्ण

संख्या- 27/2015/1377/43-1-2015-37(1)/1984

प्रेषक,

एस0एन0 शुक्ल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।
- 4- सचिव,  
राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 19 अगस्त, 2015

विषय:- सूचना का अधिकार से संबंधित रिकार्डों/पत्रावलियों/पंजीकाओं की वीडिंग/ रिकार्डिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों/अपीलों/शिकायतों/पत्रावलियों/पंजीकाओं के वीडिंग/रिकार्डिंग हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नवत् शिड्यूल निर्धारित किया गया है :-

क्रमांक	अभिलेखों का नाम/विषय	समय/अवधि जब तक सुरक्षित रखा जाय/जिसके उपरान्त नष्ट किया जाय।
1	2	3
1	ऐसे मामले जिनमें प्रथम अपील न की गयी हो।	3 वर्ष
2	ऐसे मामले जिनमें प्रथम अपील की गयी हो।	3 वर्ष
3	ऐसे मामले जिनमें राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की गई हो (बिना किसी उल्लेखनीय निर्णय के)	3 वर्ष अथवा राज्य सूचना आयोग के अन्तिम निर्णय का अनुपालन जो बाद में हो।

- - - - - 2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4	ऐसे मामले जिनमें राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की गई हो (यदि उल्लेखनीय निर्णय हो)	5 वर्ष अथवा राज्य सूचना आयोग का निर्णय।
5	प्रथम अपील से सम्बन्धित पत्रावलियाँ	3 वर्ष
6	द्वितीय अपील से सम्बन्धित पत्रावलियाँ	3 वर्ष अथवा राज्य सूचना आयोग के निर्णयों के अनुपालन तक जो बाद में हो।
7	सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित पत्रावलियाँ यथा-दिशा निर्देश, परामर्श आदि।	3 वर्ष
8	सूचना का अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की पंजिका	स्थायी रूप से रखना।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों/अपीलों/शिकायतों/पत्रावलियों/पंजिकाओं के वीडिंग/रिकार्डिंग हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित उक्त शिड्यूल/दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

एस0एन0 शुक्ल  
प्रमुख सचिव।

संख्या- 27/2015/1377(1)/43-1-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि - सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

आज्ञा से,

लुटावन राम  
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।